न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 65/1986
तैरा बनाम सोहराव

09.04.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 165क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 165क2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादिनी सं0 2 की मृत्यु दिनांक 19.06.2017 को हो गई है, जिनके विधिक प्रतिनिधि उनके पति एवं पुत्रगण हैं। मृतका अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। वहां पर ही उनका देहान्त हुआ, जिसके कारण वादिनी को उसकी मौत की जानकारी नहीं हो सकी। रमजान के घर आने पर प्रतिवादिनी सं0 2 के मरने की जानकारी हुई, जिस पर वरासत प्रार्थनापत्र दे रहे हैं। ऐसी दशा में प्रार्थी को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देकर, अवेटमेन्ट को सेट एसाइड करके, दरख्वास्त वरासत को स्वीकार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 165क2 प्रतिवादिनी सं0 2 की मृत्यु दिनांक 19.06.2017 को दौरान मुकदमा होने के फलस्वरूप उनके वारिसानों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किये जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। वादी द्वारा विलंब की बावत धारा 5 कानून अधिनियम की मियाद देने की बात कही गई। वादी द्वारा विलंब के बावत उल्लिखित कारण उचित प्रतीत होता है। वादी को धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः न्यायालय की राय में, विलम्ब के बाबत प्रार्थनापत्र 165क2 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 165क2 मु0 100/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी प्रतिस्थापित पक्षकारों पर सम्मन पैरवी उभय प्रकार से अंदर दस दिन करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 30.04.2018 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद, स्थान–बस्ती